<u>**न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, टाण्डा अम्बेडकरनगर**</u>

मूलवाद संख्या–334/2009
राम अवध **बनाम** मोमिना खातून
दिनांक–13.02.2023

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थनापत्र 37क1 के निस्तारण पर बल दिया गया।

<u>**निस्तारण प्रार्थनापत्र 37क1**</u>–

प्रार्थनापत्र 37क1 मय शपथपत्र वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा दिनांक 13.01.2018 को वादी राम अवध की मृत्यु हो गई है। मृतक वादी के जायज वारिसान व कायम मुकाम अशोक कुमार, प्रमोद कुमार, राकेश कुमार, बृजेश कुमार व ज्ञानमती उर्फ ज्ञान्ती देवी हैं, जिन्हें मृतक वादी का कायममुकाम बनाकर वादपत्र में संशोधन की याचना की गयी है।

प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादी की आपत्ति का अवसर समाप्त किया जाता है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित हैं। दौरान मुकदमा वादी राम अवध की मृत्यु हो गई है। मृतक वादी के जायज वारिसान व कायममुकाम वादी सं0 1/1 ता 1/5 हैं, मृतक वारिसान जरिये वकालतनामा पत्रावली में उपस्थित हैं। वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र मियाद अन्दर प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र 37क1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 37क1 स्वीकार किया जाता है। वादी वादपत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक   2023 को पेश हो।

(आतिफ सिद्दीकी)
सिविल जज(जू0डि0) टाण्डा
अम्बेडकरनगर